प्रेषक,

आनन्द किशोर, भा०प्र०से०
कार्यपालक निदेशक

सं०सं० : SHSB/G.A/1061/Part-II

पत्रांक : ....

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।
सभी सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार।

पटना, दिनांक : ....

विषय : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) अन्तर्गत आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ), फार्मासिस्ट एवं ए0एन0एम0 की संविदा के आधार पर नियोजन के संबंध में।

महाशय / महाशया,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत आयुष चिकित्सकों के 2136, फार्मासिस्ट के 1068 एवं ए0एन0एम के 1068 पदों पर नियोजन हेतु पी0 आर0 संख्या –6896 / 2013 के द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन समर्पित कराये गये थे। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC संख्या –22835 / 2013 में पारित आदेश के आलोक में पुनः ऑनलाइन आवेदन समर्पित कराकर बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (BCECEB) पटना द्वारा दिनांक 17.09.2014 को लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी। आवेदकों के प्राप्तांक के आधार पर BCECEB द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये गये औपबंधिक मेघा सूची में शामिल अभ्यर्थियों को मेघा क्रम के अनुसार दिसम्बर माह में कोटिवार काउन्सेलिंग करायी गयी। काउन्सेलिंग उपरान्त राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के अधिकृत मानव संसाधन एजेन्सी मेसर्स TM Inputs & Services Secundrabad द्वारा **Cleared एवं Conditionally Cleared** अभ्यर्थियों को मिलाकर कुल 3156 अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध करायी गयी, जिन्हें नियोजन हेतु योग्य पाया गया है। Conditionally Cleared की सूची में शामिल अभ्यर्थियों के नियोजन से पूर्व संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति का यह दायित्व होगा कि उनके अभियुक्ति कॉलम में अंकित आपतियों / कारणों का निराकरण आवश्यक रूप से कर लें। **पुनः उल्लेख किया जाता है कि Conditionally Cleared सूची वाले अभ्यर्थियों के अभ्युक्ति कॉलम में अंकित आपतियों / कमियों का निराकरण किये बगैर उनका नियोजन नहीं किया जाना है।**

2. अतः उक्त के आलोक में Cleared एवं Conditionally Cleared अभ्यर्थियों की जिलावार तैयार सूची संलग्न करते हुए कहना है कि आयुष चिकित्सकों, ए०एन०एम० एवं फार्मासिस्ट की (नियुक्ति / पदस्थापन) जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष–सह–जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्धारित मानदेय के अनुसार संविदा पर नियोजन करना सुनिश्चित किया जायेगा :–

(i) संविदा के आधार पर आयुष चिकित्सकों (आयुष, यूनानी एवं होमियोपैथ) / फार्मासिस्ट / ए0एन0एम को नियमित नियुक्ति मान्य नहीं होगी। यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ, औपबंधिक तथा अस्थायी रूप से की जाएगी।

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
दूरभाष: 0612-2290340, 2281545, फैक्स: 2290322,
वेबसाइट: www.statehealthsocietybihar.org

(ii) अभ्यर्थियों की उम्र सीमा अधिकतम 45 वर्ष होगी, जिसके लिए गणना की आधार तिथि 01.10.2013 होगी।

(iii) आयुष चिकित्सकों (आयुष, यूनानी एवं होमियोपैथ)/फार्मासिस्ट/ए0एन0एम का चयन राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार द्वारा किया गया है। इनका पदस्थापन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा प्रखंड स्तर पर किया जाना है। अतः प्रखंड का आवंटन संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा किया जायेगा।

(iv) आयुष चिकित्सकों को 20,000/–रू0, ए0एन0एम0 को 11,500/– एवं फार्मासिस्ट को 12,000/– रू0 प्रतिमाह मानदेय के रूप में भुगतान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी।

(v) आयुष चिकित्सकों/ए0एन0एम0/फार्मासिस्ट का अनुबंध संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा ग्यारह माह के लिए किया जाएगा। यदि भविष्य में किसी कर्मी का स्थानान्तरण अन्यत्र दूसरे जिला में किया जाएगा तो उस परिस्थिति में उसका अनुबंध नव पदस्थापित जिला के जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नये सिरे से किया जायेगा तथा उसके पूर्व पदस्थापित जिला का अनुबंध स्वतः समाप्त समझा जाएगा–कृपया इस आशय का स्पष्ट उल्लेख अनुबंध मे कर दिया जाए।

(vi) भविष्य में आवश्यकता नहीं रहने पर या PIP के अन्तर्गत पदों की स्वीकृति नहीं होने पर या सेवा असंतोषप्रद पाये जाने पर किसी भी अन्य कारण से संविदा के आधार पर अनुबंधित चिकित्सकों/ए0एन0एम0/फार्मासिस्ट का अनुबंध एक माह के नोटिस पर किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसके लिए उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(vii) संविदा के आधार पर अनुबंधित चिकित्सकों/ए0एन0एम0/फार्मासिस्ट का अभ्यावेदन के साथ इस आशय का इन्डेमनिटी बांड संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे नियमित नियुक्ति का दावा नहीं करेंगे तथा भविष्य में हटाए जाने पर वे किसी प्रकार का दावा नहीं करेंगें।

(viii) आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सकों का यह अनुबंध आधारित नियोजन जिला विशेष में सृजित आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथिक चिकित्सकों के पदों की सीमा के अन्तर्गत होगा।

(ix) चयनित उम्मीदवारों से नियुक्ति के पूर्व यह शपथ–पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि यदि जाँच के उपरांत डिग्री/डिप्लोमा या कोई भी अन्य प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई करते हुये प्राथमिकी दर्ज की जायेगी तथा कार्यरत अवधि के दौरान भुगतान की गयी राशि को ब्याज सहित वापस ले ली जायेगी।

(x) अनुबंध की शर्तों में अन्य शर्तों के अतिरिक्त क्रमांक (ix) की शर्तों को भी समाहित करते हुए अनुबंध पत्र पर चयनित आयुष चिकित्सकों/ए0एन0एम0/फार्मासिस्ट का हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाय।

(xi) अभ्यर्थियों की नियुक्ति के पश्चात् एक माह के भीतर इनकी शैक्षणिक योग्यता/बिहार का स्थायी निबंधन प्रमाण पत्र/ आरक्षण से संबंधति प्रमाण पत्र का सत्यापन करा लिया जाय।

3. अतः अनुरोध है कि उक्त आलोक में दस दिनों के अंदर नियुक्ति/पदस्थापन की सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय तथा कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराया जाय।

विश्वासभाजन
ह०/–
(आनन्द किशोर)

ज्ञापांक : 2812 **पटना, दिनांक** 5/5/15

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक निदेशक

परिवार कल्याण भवन, शेखपुरा, पटना- 800 014,
स्वस्थ बिहार समृद्ध बिहार
दूरभाषः 0612-2290340, 2281545, फैक्सः 2290322,
वेबसाइटः www.statehealthsocietybihar.org